मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2011 (चैत्र 7, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों के अनुरोध पर, सदन की सहमति से दिनांक 30 मार्च, 2011 को भारत-पाकिस्तान के मध्य विश्वकप क्रिकेट मैच के अवसर पर सदन की बैठक अपराह्न 1.00 बजे स्थगित करने सम्बन्धी घोषणा की गई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 92 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 104 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री विक्रम वर्मा, सांसद् एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर स्वागत उल्लेख किया गया।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने रतलाम जिले के विकलांग विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा दी जाने,
(2) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य ने प्रदेश में ट्रायसेम प्रशिक्षित मैकेनिकों की भर्ती न होने,
(3) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य ने सतना के अमरपाटन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाने,
(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने ग्वालियर के चिन्नौर में अनुसूचित बालक छात्रावास अधीक्षक द्वारा भ्रष्टाचार करने,
(5) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर में विश्वकप क्रिकेट का जश्न मना रहे लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने,
(6) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य ने लांजी के ग्रामों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का लाभ न मिलने,
(7) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने बड़वाह के सनावद से खरगौन मार्ग का निर्माण न होने,
(8) श्री जुगुल किशोर, सदस्य ने सतना के ग्राम गोडर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति में गलत प्रक्रिया अपनाई जाने तथा
(9) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़,सदस्य ने प्रदेश के महाविद्यालयों में सेमेस्टर परीक्षा के पाठ्यक्रम में अनियमितता होने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2009-10 के प्रतिवेदन : (क) क्रमांक-1 (राज्य वित्त) (ख) क्रमांक-2 (सिविल);(ग) क्रमांक-3 (राजस्व प्राप्तियां) तथा (घ) क्रमांक-4 (वाणिज्यिक) पटल पर रखे।

(2) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मध्यप्रदेश का प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने (क) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण, वर्ष 2009-10 एवं (ख) (i) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 तथा (ii) दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड का 47 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 पटल पर रखे।

6. ध्यान आकर्षण

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने राजघाट परियोजना में बुंदेलखण्ड पैकेज की राशि की अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(2) श्री राजकुमार उरमलिया, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री रामलखन सिंह, सदस्यगण ने छतरपुर जिले के बड़ामलहरा में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री सुखदेव पांसे एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने बैतूल जिले में रेत खदानों की नीलामी में अनियमितता होने की ओर राज्यमंत्री, खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य ने सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत घटिया निर्माण कार्य होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, सभापति ने प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी जिले के -
- (क) ग्राम पिपरिया कला में ऐलहा टोला एवं लालपुर टोले में हैण्डपंप खनन किये जाने,
- (ख) ग्राम महुनी के खैरमाई में हैण्ड पंप खनन किये जाने,
- (ग) ग्राम ताली में हैण्ड पंप खनन किये जाने तथा
- (घ) ग्राम देउरी मझगवां में हैण्ड पंप खनन किये जाने,

(2) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के -
- (क) ग्राम बिलहरी में पुरातत्व विभाग द्वारा स्मारक भवन का निर्माण तथा पुराने भवनों की मरम्मत करने,
- (ख) ग्राम कुंआ में 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,
- (ग) ग्राम कुंआ के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
- (घ) ग्राम बड़ागांव में पुलिस चौकी खोले जाने तथा
- (ङ) बहोरीबंद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने,

(3) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के -
- (क) ग्राम सुल्तानपुर में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम दसई-लाबरिया मार्ग से मजरा रेती खोदरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम बान्देडी में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,
- (घ) ग्राम पंचायत साजोद के मजरा उमरेला में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,
- (ङ) ग्राम दौलतपुरा से बोला तक नहर निर्माण किये जाने तथा
- (च) ग्राम पंचायत अमझेरा बस स्टैण्ड से मनावर चौपाटी तक सीमेन्ट कांक्रीट सड़क निर्माण किये जाने,

(4) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम जमुनिया में प्राथमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम पंचायत गहारा के वार्ड 7 एवं 8 में विद्युतीकरण किये जाने,

(ग) चंदला अंतर्गत केन नदी पर बने पुल तक सड़क निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम सूरजपुर में प्राथमिक शाला की बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,

(ङ) गढ़ी मलहरा से महराजपुर लौड़ी होते हुए चंदला बहोन तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,

(च) ग्राम लौड़ी में नल जल योजना प्रारंभ किये जाने,

(छ) ग्राम गुढ़ा खुर्द को पंचायत घोषित किये जाने,

(ज) ग्राम सरवई में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने तथा

(झ) चंदला-सरवई तथा गौरिहार तक सड़क निर्माण किये जाने,

(5) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की दमोह जिले के -

(क) ग्राम वर्धा में पुलिस चौकी खोले जाने,

(ख) ग्राम लुहारी में हाई स्कूल का भवन निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम पिपरिया किरन में धर्मशाला निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम बनगांव में हाई स्कूल का भवन निर्माण किये जाने,

(ङ) ग्राम बिलाई में हाई स्कूल भवन निर्माण किये जाने,

(च) ग्राम पंचायत पटेरा में पेयजल व्यवस्था किये जाने,

(छ) ग्राम पटेरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने तथा

(ज) खैरा-खैरी घाट पर पुल निर्माण किये जाने,

(6) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य की छतरपुर जिले के -

(क) गल्ला मंडी से शराब दुकान हटाये जाने,

(ख) ग्राम सरानी से देशी शराब की दुकान गांव से बाहर किये जाने,

(ग) ग्राम सलैया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने तथा

(घ) ग्राम सलैया के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर विधेयक, 2011 (क्रमांक 13 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2011 (क्रमांक 9 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

(अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक, सदन की सहमति से समय में वृद्धि की गई)

(अपराह्न 1.05 से 2.40 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(2) श्री विश्वास सारंग

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(3) श्री लक्ष्मण तिवारी
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(6) श्री पारस सकलेचा
(7) श्री रामलखन सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(8) श्री बृजेन्द्र सिंह
(9) श्रीमती साधना स्थापक
(10) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(11) श्री आरिफ अकील
(12) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी
(13) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष

(श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य द्वारा बजट में महिलाओं को स्टॉम्प ड्यूटी सम्बन्धी छूट न देने के विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री राघवजी, वित्त मंत्री का उत्तर पूर्ण होने तक, सदन की सहमति से समय में वृद्धि की गई)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2011 (क्रमांक 9 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

10. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि श्री पारस सकलेचा, सदस्य द्वारा आज दिनांक 28 मार्च, 2011 को रवीन्द्र भवन, भोपाल में तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा होली के उपलक्ष्य में कल दिनांक 29 मार्च, 2011 को रात्रि 8.30 बजे उनके निवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भोज का आयोजन किया गया है। अतः इन कार्यक्रमों में आपकी सपरिवार उपस्थिति प्रार्थनीय है।

अपराह्न 5.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2011 (चैत्र 8, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 28 मार्च, 2011